तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सुरेश कुमार बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 19/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08–04–24	अपीलार्थी सुरेश कुमार पुत्र मुकनाराम सरगरा निवासी ग्राम खेड़ा सरेचां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09/08/23 में (1) मोबाईल नं. 9001488689 के जरिए राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज शिकायतों की प्रमाणित प्रतियां व दी गई राहत का विवरण व अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से [illegible] जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:20:17 IST
Reason: SelfAttested